संख्या :14/2018/बी-2-898/दस-2018-10/77

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनाँक : 23 जुलाई, 2018

विषय : योजनाओं / परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण व अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

योजनाओं / परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण व अनुमोदन के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनाँक 26 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या-12/2018/बी-2-856/दस-2018-10/77, दिनाँक 15 जून, 2018 द्वारा प्रक्रिया एवं अनुमोदन के स्तर का निर्धारण किया गया है । उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में रुपये 25.00 करोड़ से अधिक धनराशि के मूल / पुनरीक्षित कार्य व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं एवं इन प्रस्तावों का गहनता से परीक्षण किया जाना आवश्यक होता है ।

2- यह प्रकाश में आया है कि कभी-कभी व्यय वित्त समिति के समक्ष ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये जाते हैं, जिनपर व्यय वित्त समिति में विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है । यह भी देखने में आया है कि कई बार प्रस्ताव परिपक्व नहीं होते हैं एवं उनमें कतिपय कमियाँ रहती हैं । व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तावों को रखे जाने हेतु पी.एफ.ए.डी. सचिवालय के रूप में कार्य करता है । अत: पी.एफ.ए.डी. को उक्त प्रस्ताव भेजे जाने के पूर्व उनका प्रारम्भिक परीक्षण किया जाना आवश्यक है ।

3- अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि परियोजनाओं के ऐसे प्रस्ताव जिन्हें व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना हो, वे प्रशासकीय विभाग द्वारा सर्वप्रथम वित्त विभाग के सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को प्रेषित किये जायें । वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव का प्रारम्भिक परीक्षण के उपरान्त यदि व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का औचित्य पाया जाता है, तो ऐसे प्रस्तावों को वित्त विभाग द्वारा पी.एफ.ए.डी. को मूल्यांकन हेतु भेजा जायेगा ।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

संख्या : 14/2018/बी-2-898(1)/दस-2018-10/77, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2 वित्त विभाग के समस्त अधिकारी ।

आज्ञा से,

राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव, वित्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in